भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 265

09 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पशु चिकित्सा दवाओं के लिए औषधि नियामक निकाय

***265. श्री के. गोपीनाथ:**

डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में पशु चिकित्सा दवाओं के लिए एक पृथक औषधि विनियामक होने के विभिन्न फायदों के दृष्टिगत, पशु चिकित्सा औषधियों के लिए एक पृथक विनियामक निकाय की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से कोई कार्रवाई की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या विनियामक निकाय राज्यों में कार्य कर रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

09 अगस्त, 2024 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 265 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): पशु-चिकित्सा संबंधी औषधियों समेत अन्य औषधियों को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इसके अंतर्गत बने नियमों के तहत विनियमित किया जाता है। औषधियों के विनिर्माण, विक्रय और वितरण के लिए लाइसेंस राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त अपने-अपने राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किया जाता है, जबकि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) पशु-चिकित्सा संबंधी औषधियों के आयात के विनियमन तथा नई औषधियों के अनुमोदन के लिए उत्तरदायी है।

(ख): सीडीएससीओ का पशु-चिकित्सा संबंधी दवाओं के लिए एक पृथक विनियामक निकाय स्थापित करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग): राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के औषधि लाइसेंसिंग प्राधिकरण, जो पशु-चिकित्सा संबंधी औषधियों को भी विनियमित करते हैं, का ब्यौरा लिंक https://cdsco.gov.in/opencms/opencms/en/State-Drugs-Control/ पर उपलबध है।

****